राजस्व अपील संख्या 151/2023

अनवान

दुर्गाराम बनाम सुगनी वगैराह

दिनांक 26.06.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट के अधिवक्ता श्री नाहरसिंह सोलंकी उपस्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 4, 7 ता 9 की ओर से श्री ओ0पी0 बूब, अधिवक्ता उपस्थित हुए। उपस्थित पक्षकारान अधिवक्ता के द्वारा अपील पर की गई बहस को सुना गया।

उभय पक्षकारान के अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त तथा प्रस्तुत अपील एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णित अपील संख्या 08/2013 अनवान सुगनी बनाम दुर्गाराम वगैराह में पारित आदेश दिनांक 05.05.2013 के विरूद्ध माननीय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर न्यायालय में द्वितीय राजस्व अपील संख्या 38/2015 अनवान भगवानाराम बनाम सुगनी वगैराह प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.03.2017 को निर्णय पारित कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की गई है। ऐसे में माननीय सम्भागीय आयुक्त न्यायालय के द्वारा पूर्व में उक्त प्रथम अपील के विरूद्ध निर्णय पारित किया जा चुका है। ऐसे में उसी अधीनस्थ न्यायालय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में पुनः सुनवाई किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त प्रस्तुत द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम अस्वीकार की जाती है। अपीलान्ट के अधिवक्ता को यह हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में ऐसे प्रकरणों में अपील पेश करने से परहेज करे जो सम्भागीय न्यायालय से पूर्व में निर्णित हो चुके है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर